यूपी के हर जिले में खुलेंगी एगमार्क की प्रयोगशालाएं

तैयारी

■ अजीत कुमार

लखनऊ। प्रदेश में कृषि उत्पादों के निर्यात को जल्द पंख लगने वाले हैं। पहले निर्यात पर अनुदान की सुविधा और उसके बाद पैक हाउस के माध्यम से ग्रेडिंग, शॉर्टिंग आदि की आधुनिक सुविधाएं दी गईं। अब जिले स्तर पर एगमार्क प्रयोगशालाएं स्थापित कर निर्यात योग्य कृषि उत्पादों की गुणवत्ता एवं शुद्धता को प्रमाणित करने की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराई जाएगी।

चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के प्रत्येक जिले में एगमार्क प्रयोगशालाएं स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।पहले चरण में मंडलीय मुख्यालयों पर फिर दूसरे चरण में बचे हुए जिला मुख्यालयों पर प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। वर्तमान में प्रदेश में मात्र 12 एगमार्क प्रयोगशालाएं हैं जिनमें से चार का संचालन ही राज्य सरकार कर रही है। ये लखनऊ, आगरा, मेरठ और वाराणसी में हैं। शेष आठ मण्डी निधि से वित्त पोषित हैं।

क्यों जरूरी है एगमार्क

कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण एवं चिह्नांकन) अधिनियम 1937, उपभोक्ताओं /आम जनता की स्वास्थ्य रक्षा के लिए अधिसूचित अधिनियम है। इसके तहत ही एगमार्क को प्रतीक चिह्न के रूप में स्थापित किया गया है। यह चिह्न कृषि उत्पादों की शुद्धता, गुणवत्ता जांच के बाद ही लगाया जाता है।